एवं अधिकार का मामला कहते हुए पक्षों को सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने का आदेश पारित किया गया है, जो सही नहीं है।

उत्तरकारी की उपस्थिति न्यायालय में नहीं रहने के कारण उनके ओर से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। किन्तु उनके द्वारा लिखित बहस दाखिल किया गया है जिसमें उल्लेख है कि उत्तरकारी सं० 02 के पिता सैनिक में कार्यरत थे, उन्हें काबिल लगान वाद सं० 04/52/1962–63 में 3.5 एकड़ जमींन की बन्दोबस्ती मिली है एवं रजिस्ट्रर II में नाम दर्ज है। उनके द्वारा काबिल लगान वाद सं० 04/52/1962–63 की आदेश एवं लगान रसीद की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमींन पर उभय पक्ष अपना–अपना दावा करते है। प्रधान द्वारा दाखिल आवेदन एवं लिखित बहस में विरोधाभाष है। उभय पक्षों द्वारा बन्दोबस्ती कागजात भी समक्ष पदाधिकारी (अनुमंडल पदाधिकारी) द्वारा सम्पुष्टि नहीं किया गया है, जबकि जमींन परती कदीम है, ऐसी स्थिति में यह हक एवं अधिकार का मामला प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा परित आदेश सही प्रतीत नहीं होता है जिसे विलोपित किया जाता है तथा वाद को अनुमंडल पदधिकारी, दुमका को इस निदेश के साथ पुर्नविचार हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है कि–

"अंचल अधिकारी स्वयं स्थल का निरीक्षण कर अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उभय पक्षों को सुनकर उनके दावों पर विचार किया जाय तथा पक्षों के दावों एवं दखल के अनुसार मौजा के प्रधान को बन्दोबस्ती हेतु निदेश दिया जाय।"

इसी समीक्षा के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 219 [illegible] 6/6/16 Note

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

Rahul
उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 16/2014–15

धननजय झा एवं अन्य .... अपीलकर्ता

बनाम

16/– रैयत मौजा खोजवा .... उत्तरकारी

॥ आदेश ॥

27/04/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0– 16/2014–15 दिवाकर झा एवं अन्य बनाम् सरकार एवं अन्य के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के रे0मि0 वाद सं0– 264/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा खोजवा, अंचल सरैयाहाट के दाग सं0 171 एवं 330 जो सर्वे खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है, अपीलकर्त्ता के पिता को क्रमशः 00–14–00 (14 कट्ठा) एवं 03–10–00 (तीन बीघा दस कट्ठा) जमींन पूर्व प्रधान देवनारायण झा से दिनांक 22.05.1980 द्वारा पट्टा बन्दोबस्ती मिला है। जिसका वह खंडित कर जोत आबाद कर रहा है एवं लगान का भी भुगतान किया जा रहा है। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त जमींन का सीमांकन हेतु निम्न न्यायालय में रे0मि0 वाद सं0 263/2010–11 दायर किया गया जिसपर अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में अपीलकर्त्ता के दावों को सही पाया गया है। मौजा के वर्त्तमान प्रधान द्वारा भी दाखिल लिखित बहस के अनुसार अपीलकर्त्ता के आवेदन को सही कहा गया है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रधान द्वारा बहस के दौरान कहा गया कि अपीलकर्त्ता के पिता को पूर्व प्रधान द्वारा किसी तरह का पट्टा नहीं दिया गया है। पूर्व प्रधान का जाली हस्ताक्षर कर आवेदक द्वारा प्रस्तावित जमींन का पट्टा प्राप्त कर सीमांकन कराना चाहते है। वर्त्तमान में उक्त जमींन पूर्णतः समतल पड़ा हुआ है।

इस सीमांकन के विरूद्ध में निम्न न्यायालय में उत्तरकारी के पिता गंगाधर एवं अन्य द्वारा भी आपत्ति दाखिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें उक्त दाग में रेण्ट फिक्सेसन वाद सं0 04/52/62–63 में दिनांक 21.02.1963 में बन्दोबस्ती मिली है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 16/– रैयतों को कोई आपत्ति नहीं है। उत्तरकारी द्वारा कोई कागजात दाखिल नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा इस मामला को हक